केंद्रीय विद्यालय संगठन, आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सैक्टर 33 सी चंडीगढ़ सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न		
क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	के वि सं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ का पता क्या है?	केंद्रीय विद्यालय संगठन आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सैक्टर 33 सी चंडीगढ़
2	के वि सं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ कैसे पहुंचा जा सकता है?	यह चंडीगढ़ के प्रमुख स्थान पर अवस्थित है| आप बस अड्डे , रेलवे स्टेशन , हवाई अड्डे से ओटो /कैब द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं| पहचान चिह्न: लैंड मार्क अस्पताल ,टैरेस गार्डन
3	प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में के वि सं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ का दायित्व क्या है?	के वि सं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य दायित्व के वि सं में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न कार्मिकों (स्नातकोत्तर शिक्षक, प्र.स्नातक शि., प्राथमिक शि., पुस्तकालयाध्यक्ष, गैर शिक्षक कर्मचारी) की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना है| इस दायित्व को पूरा करने के लिए के वि सं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, के वि सं के निर्देशानुसार कार्यशालाओं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं|
4	प्रशिक्षण के दौरान काम करने का समय क्या है?	सामान्य काम के घंटे प्रात: 09:00 से सांय 05:30 बजे (चाय और भोजन के अंतराल सहित)
5	क्या छात्रावास की सुविधा है?	जी हाँ ! उपलब्धता और द्विभागिता के आधार पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है|
6	क्या प्रशिक्षण के दौरान छुट्टी प्रदान की जाती है?	नहीं
7	के वि सं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में करवाई जाने वाली कार्यशालाओं की अवधि क्या है?	सामान्य रूप से कार्यशालाएँ 2, 3, 5 दिन के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण 12 व् दस दिन की अवधि के दो चरणों में व् 21 दिन की अवधि के लिए
8	क्या प्रतिभागी कार्यशाला / सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ ला सकता है?	नहीं, प्रतिभागियों को कार्यशाला / सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को साथ लाने की अनुमति नहीं है| केवल अपरिहार्य स्थिति में अथवा शारीरिक तौर पर चुनौती का सामना कर रहे प्रतिभागी अपने सहायक / परिचारक को उपायुक्त एवं निदेशक की अनुमति से उन्हें साथ लाया जा सकता है| सहायक / परिचारक को के वि सं के नियमानुसार किराया और भोजन के प्रभार का भुगतान करना होगा|
9	क्या के वि सं का कर्मचारी	जी हाँ , कमारा बुक किया जा सकता है | इसके लिए कर्मचारी को

	अपने निजी अथवा कार्यालयी कार्य के दौरे के दौरान छात्रावास में कमरा बुक कर सकता है?	सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाना होगा | इसके उसे नियमानुसार कमरे का किराया देना होगा|
10	क्या कोई बाहरी कर्मचारी (के वि सं से इतर) के वि सं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में होने वाली कार्यशालाओं में भाग ले सकता है?	जी हाँ! इसके लिए उसे, निदेशक, के वि सं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से पूर्व अनुमति लेनी होगी
11	के वि सं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ के फीडर संभाग कौन-कौन से हैं?	इसके अंतर्गत के वि सं के पाँच संभाग आते हैं | दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ , जम्मू और गुरुग्राम